न्यायालय जिला कलक्टर, नागौर

बईजलास – पीयुष समारिया, आई.ए.एस.

रसद अपील संख्या–21/2022
GCMS No.- 2022/26

अपीलान्ट	बनाम	रेस्पोडेन्ट
पुरूषोतम पुत्र श्री सत्यनारायण, जाति ब्राह्मण, उम्र 46 वर्ष निवासी खींवसर, तहसील खींवसर जिला नागौर उचित मूल्य दुकानदार दुकान नं.III^rd वार्ड नम्बर–6 से 9 एवं महेशपुरा प्राधिकार पत्र संख्या 298/2000 पॉश मशीन नम्बर 22626 आधार कार्ड नम्बर–458835655531 मो0नं0 9838972176		जिला रसद अधिकारी, नागौर

उपस्थिति :–

1. अपीलान्ट की ओर से वकील श्री गोविन्द कड़वा।
2. रेस्पोडेन्ट की ओर से प्रवर्तन निरीक्षक (अभियोजन) रामअवतार पूनियां।

निर्णय दिनांक– 24/08/2022

1. अपीलान्ट ने यह अपील अन्तर्गत राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 के नियम 22 के तहत जिला रसद अधिकारी नागौर द्वारा के आदेश क्रमांक–रसद/प्राधिकार/2020/1514 दिनांक 30.12.2020 के विरूद्ध पेश की है। अपील के साथ मयाद प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया, जिस पर अपील अपीलान्ट ताबेउज्र मियाद दर्ज रजिस्टर की गई। अधिनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया।
2. अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत मयाद प्रार्थना पत्र पर उभय पक्ष की बहस सुनी। वकील अपीलान्ट ने अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत मयाद प्रार्थना में किये गये कथनों को हूबहू दौहराते कथन किया कि अपीलांट को नियमानुसार उचित मूल्य दुकानदार, खींवसर वार्ड नं. 6 से 9 एवं महेशपुरा का प्राधिकार पत्र संख्या 298/2000 रसद विभाग द्वारा जारी किया गया था व अपीलांट नियमानुसार पूर्ण निष्ठा, मेहनत व ईमानदारी से उचित मूल्य दुकानदार का कार्य करता रहा, अपीलांट के विरूद्ध कभी भी किसी प्रकार की कोई शिकायत किसी भी उपभोक्ता की नहीं रही थी न ही हस्तगत पत्रावली में ऐसी कोई शिकायत है। हस्तगत प्रकरण की परिस्थितियां विशेष रूप से अलग है, चूंकि अपीलांट नियमानुसार लगातार उचित मुल्य की दुकान को बिना किसी बाधा के संचालित करता रहा लेकिन इसी दौरान अपीलांट को डिक्स की समस्या व पेट की आन्तो में सुजन की बीमारी हो जाने तथा बैठने, चलने फिरने में तकलीफ होने के कारण स्वास्थ्य सही नहीं होने से दुकान संचालन में बाधा उत्पन्न होने लगी, जिससे दिनांक 23.12.2020 को जिला रसद अधिकारी से मिलकर इस संबंध में निवेदन किया व बीमारी का ईलाज करवाने व स्वास्थ्य ठीक होने तक अवकाश ग्रहण करने का निवेदन किया तो जिला रसद अधिकारी कार्यालय द्वारा प्रार्थी से अवकाश के लिए आवेदन पेश करने की जगह इस्तीफा देने का आवेदन लिखवा कर ले लिया व आश्वासन दिया कि जब भी आपका स्वास्थ्य ठीक हो जावे आप पुनः चार्ज प्राप्त कर सकोगे तब तक अन्य डीलर को चार्ज दे देते है इसलिए अपीलांट ने उन पर विश्वास करके अवकाश के लिए आवेदन पेश कर दिया मगर उसमें उन्होने इस्तीफा का तथ्य लिखवा लिया लेकिन अपीलांट इसी विश्वास में रहा कि उसके अवकाश हेतु ऐसा किया जा रहा है व अपीलांट

न्यायालय जिला कलक्टर नागौर (राजस्थान)

कलक्टर, नागौर

मानस गेस्ट्रो सेन्टर डी–52 शास्त्री नगर जोधपुर के डॉ0 गौरवगांधी एम.डी.डी.एम. (यु.ए.) एम.ए.सी.जी. पेट, आंत, लीवर, पेनक्रियाज एवं एन्डोस्कोपी विशेषज्ञ से ईलाज शुरू करवाया, एवं यशन अमन हॉस्पिटल एवं यशन अमन डाईग्नोस्टिक सेन्टर जोधपुर से भी चेकअप करवाया, सोनोग्राफी करवाई तथा अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) जोधपुर से भी ईलाज करवाया, डॉ0 संदीप टाक एम.डी. एम्स दिल्ली, पता वेस्ट पटेल नगर सर्किल हाउस रोड जोधपुर से भी ईलाज करवाया। अपीलांट के ईलाज से संबंधित तमाम दस्तावेजात अवलोकन हेतु साथ पेश है। तत्पश्चात अपीलांट का स्वास्थ्य ठीक हो जाने पर जिला रसद अधिकारी को निवेदन किया कि अब वह पुनः स्वस्थ हो चुका है इसलिए उचित मूल्य दुकान पोश 22626 का संचालन करने को तैयार हूँ जिससे अवकाश उपरांत पुनः उचित मूल्य दुकान का चार्ज दिलाया जावे। जिस पर अपीलांट को जल्द ही उक्त दुकान का चार्ज वापिस देने का आश्वासन दिया जाता रहा व अपीलांट चक्कर काटता रहा। इसी दौरान अपीलांट को हाल ही में यह जानकारी हुई कि कमांक रसद/एफ.पी.एस. /विज्ञप्ति/2021/815 दिनांक 9.12.2021 को जारी कर उक्त दुकान हेतु अन्य को प्राधिकार पत्र दिये जाने हेतु आवेदन आमंत्रित कर दिये है तुम्हे चार्ज नहीं दिया जावेगा व अवकाश लेने के आवेदन में जो इस्तीफा का शब्द लिखवाया गया था उसके आधार पर आपका प्राधिकार पत्र दिनांक 30.12.2020 को ही निरस्त कर दिया है अब तुम्हे चार्ज नहीं मिलेगा, जिससे अपीलांट को भंयकर आघात लगा व आश्चर्य हुआ, अपीलांट ने निवेदन किया कि उसने तो अवकाश के लिए निवेदन किया था व इस्तीफा का शब्द अवकाश ग्रहण करने हेतु आपके कार्यालय द्वारा ही लिखवा लिया था, इस तरह से आप अपीलांट के साथ धोखा नहीं कर सकते हो, चार्ज वापिस दिलाया जावे व विज्ञप्ति में संशोधन किया जावे। लेकिन अपीलांट की कोई सुनवाई नहीं की, जिस पर अपीलान्ट ने पत्रावली की प्रमाणित प्रतियां दिलाने की मांग की जो हाल ही में बड़ी मुश्किल से बिना तारीख अंकित किये उपलब्ध करवाई, इसलिए उक्त आदेश से व्यथित होकर दिनांक 20.01.2022 को यह अपील प्रस्तुत की गई है। उपरोक्त परिस्थितियों में न्याय हित में देरी माफ कर अपील अन्दर मियाद शुमार करने का निवेदन किया। मयाद के बिन्दु पर प्रवर्तन अधिकारी (अभियोजन) ने बहस में कथन किया कि अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील मयाद बाहर होने का कथन करते हुए अपील अपीलान्ट खारिज करने का निवेदन किया है। मयाद प्रार्थना पत्र पर उभय पक्ष की बहस पर मनन किया। सम्पूर्ण पत्रावली का अवलोकन किया न्यायहित में अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील की मैरिट पर सुनवाई की जाकर गुणावगुण के आधार पर निर्णय पारित किया जाना उचित है।

3. अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील पर उभय पक्ष की बहस सुनी गई। प्रवर्तन अधिकारी (अभियोजन) ने रेस्पोडेन्ट की बहस का विरोध करते हुऐ बहस में कथन किया कि अपीलांट को उचित मूल्य दुकानदार, खींवसर वार्ड नं. 6 से 9 एवं महेशपुरा का प्राधिकार पत्र संख्या 298/2000 रसद विभाग द्वारा जारी किया गया था। जिला रसद अधिकारी महोदय नागौर द्वारा अपीलान्ट का राशन डीलर से इस्तीफा देने का आवेदन स्वीकार किये जाने के आदेश जैर अपील दिनांक 30.12.2020 के विरूद्ध अपीलान्ट द्वारा हस्तगत अपील प्रस्तुत कर उक्त आदेश को अपास्त/संशोधित करने किया जाकर अपीलान्ट के प्राधिकार पत्र को बहाल करने आदि का निवेदन किया है। उक्त संबंध में कि अपीलान्ट द्वारा एक प्रार्थना पत्र दिनांक 23.12.2020, जिला रसद अधिकारी महोदय नागौर के समक्ष दिनांक 24.12.2020 को प्रस्तुत कर अपीलान्ट को डिक्स प्रोबलम व पेट की आन्तों में सुजन रहने, बैठने व चलने फिरने में तकलीफ कारणवश राशन डीलर से इस्तीफा मन्जूर करने का निवेदन किया, उक्त संबंध में प्रवर्तन अधिकारी खींवसर से जॉच रिपोर्ट ली जाकर प्रवर्तन अधिकारी खींवसर द्वारा त्यागपत्र स्वीकार करने की अभिशंषा किये जाने पर जिला रसद अधिकारी नागौर द्वारा आदेश जैर अपील कमांक–रसद/प्राधिकार/2020/1514 दिनांक 30.12.2020 से अपीलान्ट का त्याग पत्र स्वीकार किया, जाकर अपीलान्ट का प्राधिकार पत्र संख्या 298/2000 निरस्त कर किया है। उक्त आदेश जैर अपील दिनांक 30.12.2020 एक प्रशासनिक कार्यवाही के दौराने किया गया आदेश है। उल्लेखनीय है कि राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण

न्यायालय जिला कलक्टर नागौर (राजस्थान)

कलक्टर, नागौर

का विनियमन) आदेश 1976 के नियम 22 (1) के अनुसार इस आदेश अधीन किसी भी अधिकारी द्वारा किये गये आदेश द्वारा व्यथित कोई भी व्यक्ति–(क) यदि आदेश कलक्टर के रैंक से नीचे के अधिकारी द्वारा किया गया है, कलक्टर को अपील कर सकेगा, का प्रावधान है। हस्तगत प्रकरण पारित उक्त आदेश जैर अपील दिनांक 30.12.2020 एक प्रशासनिक कार्यवाही के दौराने किया गया आदेश है तथा राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 के अन्तर्गत उक्त आदेश जैर अपील पारित नहीं किया गया है। इसलिए अपीलान्ट द्वारा राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 के नियम 22 के तहत प्रस्तुत हस्तगत अपील संधारण योग्य नहीं होने का कथन करते हुए अपील अपीलान्ट खारिज करने का निवेदन किया है।

4. उभय पक्ष की बहस पर मनन किया। सम्पूर्ण पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया। अपीलांट को उचित मूल्य दुकानदार, खींवसर वार्ड नं. 6 से 9 एवं महेशपुरा का प्राधिकार पत्र संख्या 298/2000 रसद विभाग द्वारा जारी किया जाना निर्विवादित है। रेस्पोडेन्ट जिला रसद अधिकारी नागौर द्वारा अपीलान्ट का राशन डीलर से इस्तीफा देने का आवेदन स्वीकार किये जाने के आदेश जैर अपील दिनांक 30.12.2020 के विरूद्ध अपीलान्ट द्वारा हस्तगत अपील प्रस्तुत कर उक्त आदेश को अपास्त/संशोधित करने किया जाकर अपीलान्ट के प्राधिकार पत्र को बहाल करने एवं अपीलान्ट के नाम से आवंटित उचित मूल्य दुकान कोड नम्बर 22626 को विज्ञप्ति दिनांक 09.12.2021 से मुक्त कर उसका चार्ज अपीलान्ट को पुनः दिलवाये जाने आदि का निवेदन किया है। उक्त संबंध में उल्लेखनीय है कि अपीलान्ट द्वारा एक प्रार्थना पत्र दिनांक 23.12.2020, जिला रसद अधिकारी नागौर के समक्ष दिनांक 24.12.2020 को प्रस्तुत कर अपीलान्ट को डिक्स प्रोबलम व पेट की आन्तों में सुजन रहने, बैठने व चलने फिरने में तकलीफ कारणवश राशन डीलर से इस्तीफा मन्जूर करने का निवेदन किया जाने पर जिला रसद अधिकारी नागौर द्वारा आदेश जैर अपील कमांक–रसद/प्राधिकार/2020/1514 दिनांक 30.12.2020 से अपीलान्ट का त्याग पत्र स्वीकार किया, जाकर अपीलान्ट का प्राधिकार पत्र संख्या 298/2000 निरस्त कर दिया है।

4(1)—अपीलान्ट द्वारा हस्तगत अपील अपीलान्ट द्वारा राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 के नियम 22 के तहत प्रस्तुत की गई है। धारा 22 के तहत अपील उसी दशा में प्रस्तुत की जा सकती है, जब कोई आदेश राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 के अन्तर्गत किया गया हो। हस्तगत प्रकरण में अपीलान्ट द्वारा दिये गये त्याग पत्र के आधार पर आदेश जैर अपील दिनांक 30.12.2020 पारित किया गया है, जो कि प्रशासनिक आदेश है तथा राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 अन्तर्गत किया हुआ आदेश नहीं होने से अपीलान्ट द्वारा द्वारा प्रस्तुत हस्तगत अपील संधार्य नहीं है। प्रशासनिक आदेश के संबंध में अपीलान्ट विभागीय स्तर पर ही कार्यवाही कर सकता है। वकील अपीलान्ट द्वारा हस्तगत अपील राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 के नियम 22 के तहत संधार्य होने बाबत कोई ठोस प्रावधान प्रस्तुत नहीं किया है।

5. अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील संधार्य नहीं होने से खारिज की जाती है। जिला रसद अधिकारी नागौर को उनका मूल रिकार्ड लौटाते हुए निर्णय की प्रति पालनार्थ भिजवाई जावें।

6. निर्णय सुनाया गया।

(पीयुष समारिया)
जिला कलक्टर, नागौर
कलक्टर,नागौर

न्यायालय जिला कलक्टर नागौर (राजस्थान)